न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 06/2019

अनवान :

1. प्रमोद कुमार } पुत्रान किशन जाति छिम्पा निवासी नेठराना तहसील भादरा
2. दिनेश } जिला हनुमानगढ़।
3. सुमित्रा पत्नी विनोद जाति छिम्पा निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. किशन पु0मु0 रामप्यारी बेवा लिछमण जाति छिम्पा निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. रेणू पुत्री किशन जाति छिम्पा निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. बबीता पुत्री विनोद जाति छिम्पा निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
4. रजत पुत्र विनोद जाति छिम्पा निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री किशनलाल यादव : **वादीगण**

वकील श्री सतवीर पूनियां : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 7.2.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 8 एनटीआर के खाता सं0 14/10 के मु0नं0 44 के किला नं0 12 ता 19 व 22 ता 25, मु0नं0 53 किला नं0 2, 3 की कुल 3.542 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि वादीगण के पिता किशन के नाम से खातेदारी दर्ज है।

वादीगण, प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र व पुत्रवधू है। इसके अलावा प्रतिवादी किशन के एक पुत्री रेणू मौजूद है। प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र विनोद की मृत्यु हो चुकी है, जिसके हक पर वादी सं0 3 पत्नी एवं पुत्री प्रतिवादी सं0 3 व पुत्र प्रतिवादी सं0 4 मौजूद है। उक्त कृषि भूमि किशन को अपनी खोलायत माता रामप्यारी से प्राप्त हुई है। रामप्यारी से पहले उक्त भूमि रामप्यारी के पति व उनके ससूर के नाम चली आ रही थी। इस प्रकार उक्त भूमि किशन प्रतिवादी सं0 1 को उक्त भूमि विरासतन प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण का भी जन्म से हक निहित है। रेणू ने उक्त कृषि भूमि से अपना हक हिस्सा वादीगण को बहिस्सा बराबर हक त्याग कर दिया व मौका पर अपना कब्जा सम्भला दिया। वादीगण एवं

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रतिवादी लगातार उक्त कृषि भूमि को कब्जा काश्त करते आ रहे है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने अपना कोई हक व हिस्सा बनता था तो उन्होने भी आपसी प्रेम स्नेहवश अपनी माता वादी संख्या 3 के पक्ष में तर्क कर दिया है। इसलिए उनका वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 1 ने भी वाद भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा था तो वह वादीगण के हक में बहिस्सा बराबर परित्याग कर दिया है। इसके अलावा प्रतिवादी सं0 1 के नाम से चक 1 बीआरडब्ल्यु में कृषि भूमि है वह उसके नाम यथावत् रहेगी। उक्त भूमि के बदले में भी प्रतिवादी सं0 1 ने वाद भूमि में अपना समस्त हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है, इसलिए अब उनका कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है।

प्रतिवादी किशन परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण भूमि तन्हा उसके नाम खातेदारी दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में भूमि तन्हा प्रतिवादी किशन के नाम खातेदारी दर्ज रहने से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वाद भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अपना कोई हक हिस्सा परित्याग कर देने के कारण प्रतिवादी सं0 1 की बजाय तीनों वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार बन चुके है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने इकबालदावे पेश किये जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिये गये।

साक्ष्य वादीगण में सुमित्रा पत्नी विनोद के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 8 एनटीआर के खाता सं0 14/10 सम्वत् 2073–76 प्रदर्श 1, नकल फोटो प्रति जमाबन्दी चक 1 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 18/17 सम्वत् 2071–74 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 व 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 8 एनटीआर सम्वत् 2053 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 8 एनटीआर सम्वत् 2049 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वादीगण, प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र व पुत्रवधू है। इसके अलावा प्रतिवादी किशन के एक पुत्री रेणू मौजूद है। प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र विनोद की मृत्यु हो चुकी है, जिसके हक पर वादी सं0 3 पत्नी एवं पुत्री प्रतिवादी सं0 3 व पुत्र प्रतिवादी सं0 4 मौजूद है। उक्त कृषि भूमि किशन को अपनी खोलायत माता रामप्यारी से प्राप्त हुई है। रामप्यारी से पहले उक्त भूमि रामप्यारी के पति व उनके ससूर के नाम चली आ रही थी। प्रतिवादी सं0 1 किशन को वाद कृषि भूमि विरासतन प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण का भी जन्म से हक निहित है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने चक 8 एनटीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद कृषि भूमि किशन को अपनी खोलायत माता रामप्यारी से विरासतन प्राप्त होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 8 एनटीआर सम्वत् 2053 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 8 एनटीआर सम्वत् 2049 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाई है प्रदर्श 6 में वाद कृषि भूमि वादीगण की दादी मु0रामप्यारी बेवा लीछमण के नाम गैरखातेदारी दर्ज है व उसके आगे की प्रविष्टि में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

रामप्यारी के बाद किशन के नाम दर्ज होना स्वष्ट है एवं प्रदर्श 5 जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2053 में जरिऐ इन्तकाल सं0 924 के किशन के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादीगण ने जरिऐ इकबाल दावों के वादीगण के दावा को स्वीकार किया है व मुताबिक दावा के वाद वादीगण डिक्री किये जाने पर सहमत हुए है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में कृष्णलाल के वारिसान में पत्नी सुरस्ती उर्फ सरस्वती, तीन पुत्र प्रमोद कुमार, दिनेक, विनोद व एक पुत्री रेणु होना व इसी प्रकार विनोद का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर उसके वारिसान में पत्नी सुमित्रा एक पुत्री बबीता व एक पुत्र रजत होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 8 एनटीआर के खाता सं0 14/10 के मु0नं0 44 के किला नं0 12 ता 19 व 22 ता 25, मु0नं0 53 किला नं0 2, 3 की कुल 3.542 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि वादीगण के पिता किशन के नाम से खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 किशन का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादिया रेणु ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है एवं प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा अपनी माता वादिया सं0 3 के पक्ष में त्याग दिया है एवं प्रतिवादी सं0 1 ने भी अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में बहिस्सा बराबर परित्याग कर दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राज.)
R.A.S.
(जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 06/2019

अनवान :

1. प्रमोद कुमार } पुत्रान किशन जाति छिम्पा निवासी नेठराना तहसील भादरा
2. दिनेश } जिला हनुमानगढ़।
3. सुमित्रा पत्नी विनोद जाति छिम्पा निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. किशन पु0मु0 रामप्यारी बेवा लिछमण जाति छिम्पा निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. रेणू पुत्री किशन जाति छिम्पा निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. बबीता पुत्री विनोद जाति छिम्पा निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
4. रजत पुत्र विनोद जाति छिम्पा निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री किशनलाल यादव एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर पूनियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 8 एनटीआर के खाता सं0 14/10 के मु0नं0 44 के किला नं0 12 ता 19 व 22 ता 25, मु0नं0 53 किला नं0 2, 3 की कुल 3.542 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि वादीगण के पिता किशन के नाम से खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 किशन का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादिया रेणु ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है एवं प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा अपनी माता वादिया सं0 3 के पक्ष में त्याग दिया है एवं प्रतिवादी सं0 1 ने भी अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में बहिस्सा बराबर परित्याग कर दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 7.2.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (भादरा)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़